महत्वपूर्ण / आवश्यक

पत्र संख्या -एस0एस0-एक -आउट सोर्सिंग वाहन-चयन/निर्देश-2015-16 / 751 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक : 15-10-,2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वांइट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व संग्रह में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त किये जाने हेतु शासन द्वारा 100 वाहन आउट सोर्सिंग से लिए जाने की सहमति प्रदान की है। जिसके सापेक्ष मुख्यालय (स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) के पत्रांक-3016 दि0 05-10-2015 द्वारा प्रत्येक जोन में विभाग के चयनित खण्डाधिकारियों को वाहन अनुमन्य करते हुए मुख्यालय से नियत की गई वाहन एजेंसी सर्वश्री आस्था टूर्स एण्ड ट्रेवेल्स, 31-सरस्वतीपुरम् अर्जुनगंज, लखनऊ को सम्बन्धित स्थलों पर वाहन उपलब्ध कराने तथा वाहन उपलब्ध हो जाने की सूचना सम्बन्धित जोन के जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर को दि0 07-10-2015 तक प्राप्त करा दिये जाने व पत्र में निर्दिष्ट शर्त व नियम के अनुरुप वाहनों के सुचारु संचालन कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायत चुनाव में विभाग की प्रवर्तन शाखा के वाहन अधिग्रहीत कर लिए जाने से प्रभावी प्रवर्तन कार्य नहीं हो पा रहा है। कतिपय् खण्डाधिकारयों, जिन्हें वाहन अनुमन्य किये गये हैं, उनकी भी ड्यूटी निर्वाचन कार्य मे लगे होने के कारण आउट सोर्सिंग के उक्त वाहनों का उपयोग सम्भव नहीं है।

अत: उक्त परिस्थितियों में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा आदेशित किया गया है कि पंचायत चुनाव से राजकीय वाहन वापस आने तक पत्र दि0 05-10-2015 के अन्तर्गत खण्डाधिकारियों को अनुमन्य किये गये आउट सोर्सिंग के उक्त वाहनों को प्रवर्तन कार्य में पूरी क्षमता से (प्रति माह 2000 किमी0 / 300 घण्टे, ईंधन, मरम्मत चालक सहित) उपयोग में लाये जायें। उक्त वाहन जोनल मुख्यालय पर जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर के नियन्त्रण में तथा जोनल मुख्यालय के इतर स्थलों पर ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर के नियन्त्रण में रहेंगे, जिसे वे प्रति दिन की प्रवर्तन कार्य की आवश्यकता के अनुरुप निर्दिष्ट अधिकारी के साथ सम्बद्ध कर प्रवर्तन कार्य करायेंगे। निर्वाचन कार्य से राजकीय वाहन वापस आने पर उक्त वाहन सम्बन्धित अधिकारी को स्वत: अनुमन्य हो जायेंगे। यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के आदेशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।